तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी वकील बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक: 16.7.24 को पेश हो। [illegible]	
16/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वादी वकील बहस पर मनन किया। वादपत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वकील बहस पर मनन करने एवं दस्तावेजात अवलोकन के आधार पर वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः वादी वाद दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible] 16/7/24	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

करण संख्या 268/2021

करण दायर दिनांक 06.10.2021

करण निर्णय दिनांक 16.07.2024

उनवान

1. मु. शान्ति देवी उम्र 62 वर्ष पत्नि श्री विजयसिंह जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां, तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बसवा तहसील बसवा जिला दौसा

दावा उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादिया द्वारा दावा उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी जर्ये वकील श्री अमर गुर्जर के इस आशय से पेश किया है कि ग्राम श्यालावास कलां तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई ा दौसा में भूमि खाता संख्या 01 के खसरा नं. 261 रकबा 0.06 हैक्टे., खसरा नं. 262/1264 रकबा हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर स्थित है। जिसके वादिया काबिज काश्त होकर ोग उपभोग करती चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि में वादिया करीब 30–40 साल से काबिज ा है तथा इससे पूर्व वादिया के पति का कब्जा काश्त चला आ रहा था। वादिया द्वारा अपने खातेदारी में स्थित गैरमुमकिन बोरिंग खसरा नं. 273 से पानी की सप्लाई कर भूमि मुतदाविया पर फसल कर उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा प्राकृतिक उपज नीम बबूल, खेजडे आदि की लूम, पातडे दि का अपने पशुओं के लिये उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित भूमि बाबत र्थीया का मौके पर कब्जा संबंधित 91 का प्रार्थना पत्र जो तहसीलदार बसवा द्वारा प्रार्थीया का मौके र रकबा 0.56 हैक्टे. पर कब्जा मानते हुये नोटिस जारी किया। जिसके बाबत प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि ी बाबत तहसील बसवा में पेनल्टी जमा कराकर रसीद प्राप्त कर काश्त करती चली आ रही है। 91 का नोटिस दिनांक 26.08.2010 को प्रार्थिया को दिया गया तथा उससे पूर्व मे भी प्रार्थीया व उसके पति को भी दिया गया है। जिसकी बाबत प्रार्थीया करीब 15–20 साल से पेनेल्टी जमा कराकर रसीदे प्राप्त

अष्ठ–

ती चली आ रही है। तथा फसल आदि की बुआई कर काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग करती ती आ रही है। उपरोक्त वर्णित भूमि सिवायचक भूमि है। जिस पर प्रार्थीया का करीब 40 साल से स्तूर बिना किसी रूकावट के कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा उक्त भूमि पर काश्तकारी कानून त 2012 से पूर्व से ही प्रार्थीया के पति का कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि पर भारी मत लगाकर काबिले काश्त कर भूमि पर फसल उगाकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। प्रार्थीया का निरंतर कब्जा काश्त होने से प्रार्थिया एडवर्स पजेशन के आधार पर सिवायचक भूमि की र्थिया खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है। दावा उद्घोषणा खातेदारी पेश है।

तः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम श्यालावास कलां तहसील बसवा हाल तह. बाँदीकुई जिला सा में भूमि खाता संख्या 01 के खसरा नं. 261 रकबा 0.06 हैक्टे., खसरा नं. 262/1264 रकबा 0.50 क्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर स्थित है जिसका वादिया के हक में खातेदार काश्तकार ा इन्द्राज कर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई षेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावें कि वे स्वयं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी भूमि मुतदाविया में र्णित भूमि में वादिया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, किसी प्रकार की खलान्दाजी नहीं करने से, फसल बोते व काटते समय विवाद करने से तथा प्राकृतिक उपज प्राप्त करने किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें, भूमि को किसी दीगर शख्स को अलोटमेन्ट ना करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। प्रकरण में भू. अ. निरीक्षक बांदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास कलां जॉच रिपोर्ट दिनांक 08.03.2022 प्राप्त हुई। प्रकरण में तनकीयात कायम कर सुनाई गई। साक्ष्य शपथ पत्र वादिया मु. शान्ति देवी पत्नि श्री विजयसिंह जाति गुर्जर का पेश किया गया। वादीया वकील बहस सुनी गयी। वादिया वकील ने बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादिया वकील बहस पर मनन किया। वादपत्र एवं संलग्न दस्तावेजात व भू.अ. निरीक्षक बांदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास कलां जॉच रिपोर्ट दिनांक 08.03.2022 का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम श्यालावास कलॉ खाता सं. नया 1 व पुराना 1 के वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि (सिवायचक) दर्ज रिकार्ड है। भू.अ. निरीक्षक बांदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास कलां जॉच रिपोर्ट दिनांक 08.03.2022 अनुसार राजस्व ग्राम श्यालावास कलां के आराजी खसरा नं. 261/0.06 व 262/1264/0.50 किस्म क्रमशः चाही–2, बारानी–2 राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक (राजकीय) भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। वादिया शांति देवी उक्त सिवायचक भूमि को अपने हक में खातेदार, काश्तकार का इन्द्राज कर खातेदारी करवाना चाहती है। उक्त भूमि पर मौके पर वादिया का कब्जा काश्त है जिसकी धारा 91 की रिपोर्ट भी की हुई है। उक्त भूमि को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में प्रार्थना पत्र/आवंटन पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार कमेटी द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकता है। उक्त भूमि नगरपालिका पैराफेरी क्षेत्र में स्थित है। उपरोक्त अवलोकन से प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक (राजकीय) भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। वादिया द्वारा उक्त भूमि पर अतिचार करने से संबंध में राज. भू–राजस्व अधिनियम– 1956 के धारा 91 के अधीन वादिया को नोटिस जारी किया गया है। सिवायचक (राजकीय) भूमि को राज्य सरकार के आदेशानुसार ही आवटन किया जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि सिवायचक (राजकीय) भूमि दर्ज रिकार्ड होने के कारण वादिया को उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाना विधि संगत नहीं है। उपरोक्त विवेचन से वादिया वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादिया वकील बहस पर मनन करने एवं भू.अ. निरीक्षक बांदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास कलां जॉच रिपोर्ट दिनांक 08.03.2022 व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादिया वाद

दावा उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 16.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

16.7.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner